



मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

भोपाल दिनांक 09-09-2025

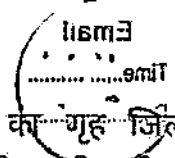
क्रमांक F-1/1/4/0032/2025-Sec-1-10(FOR :: राज्य शासन के आदेश क्र/एफ-1/1/4/0018/2025-sec-1-10, दिनांक 17.06.2025 द्वारा श्री नीलेश द्विवेदी, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी मझौली, सामान्य वनमंडल सीधी से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी चंदिया, सामान्य वनमंडल उमरिया में पदस्थ किया गया, जिसके विरुद्ध श्री नीलेश द्विवेदी द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रमांक 22840/2025 में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 15.07.2025 को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गये:-

... In view of the aforesaid, without expressing any view on the merits of the case, the present petition stands disposed of with a direction to respondent No.1 to take decision on petitioner's representation dated 17.06.2025 (Annexure P/3) within a period of 30 days from the date of production of certified copy of this order by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

5. For a period of thirty days or till the decision by the respondent No.1 on the representation (whichever is earlier), the petitioner shall be allowed to continue as Forest Range Officer at his present place of posting i.e. Majhau, General Forest Division Sidhi, District Sidhi.

6. With the aforesaid, the present writ petition stands disposed of.

2/ मान. उच्च न्यायालय पारित निर्णय दिनांक 15.07.2025 के अनुक्रम में श्री नीलेश द्विवेदी, वनक्षेत्रपाल द्वारा नवीन पदस्थिति अर्थात् परिक्षेत्र अधिकारी चंदिया, सामान्य वनमंडल उमरिया को संशोधित कर उनकी वर्तमान पदस्थिति परिक्षेत्र अधिकारी मझौली, सामान्य वनमंडल सीधी में यथावत रखने का लेख करते हुये दिनांक 17.06.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में मुख्यतः लेख किया कि वे परिक्षेत्र अधिकारी मझौली, सामान्य वनमंडल सीधी में दिनांक 30.03.2023 से पदस्थ हैं। उनको वर्तमान पदस्थिति पर 2 वर्ष 3 माह ही व्यतीत हुए हैं जो कि स्थानांतरण नीति के अनुसार 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। उनका गृह जिला रीवा है जहाँ उनकी वृद्ध माता एवं पत्नी निवास करती हैं जिनकी देखरेख की जवाबदेही उन पर है। उनकी पत्नी रीवा आई.टी.आई. कॉलेज में ट्रेनर के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी की प्रेगनेंसी का सातवां महीना चल रहा है जिससे उनकी पत्नी की डिलीवरी तक पत्नी के स्वास्थ्य एवं अन्य गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।



3/ प्रकरण में उल्लेखनीय है कि श्री नीलेश द्विवेदी, वनक्षेत्रपाल का गृह जिला रीवा है। वर्तमान पदस्थिति परिक्षेत्र मझौली, सामान्य वनमंडल सीधी से रीवा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है एवं नवीन पदस्थिति अर्थात् परिक्षेत्र अधिकारी चंदिया, सामान्य वनमंडल उमरिया से रीवा की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। अतः नवीन पदस्थिति स्थल से भी वे परिवार की देख रेख कर सकते हैं।

4/ वनक्षेत्रपाल का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद होने से एवं स्थानान्तरण नीति 2025 की कण्डिका 18 अनुसार राज्य शासन अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत उनकी पदस्थापना पर विचार कर सकता है, जिसमें पदस्थापना स्थल पर 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की अनिवार्यता नहीं है।

अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री नीलेश द्विवेदी, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 17.06.2025 को समग्ररूप से विचारोपरांत अमान्य कर नस्तीबद्ध करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 09-09-2025

18:47:34
EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक F-1/1/4/0032/2025-Sec-1-10, भोपाल दिनांक 09-09-2025

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योग.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी मध्यप्रदेश की ओर संबंधित वनक्षेत्रपाल को तत्काल भारमुक्त करने हेतु द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र.मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संबंधितद्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/-

EX OFFICIO DEPUTY
SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल
(शाखा-प्रशासन-11)

पृ.क्र./प्रशा-11/स्था-3/व.क्ष.कक्ष/ 5007
प्रतिलिपि:

भोपाल दिनांक 12/09/2025

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आदेश की प्रति प्रेषित है। कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा/शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की प्रति श्री नीलेश द्विवेदी, वनक्षेत्रपाल को तामिल कराते हुए शीघ्र नवीन पदस्थिति हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें।
5. श्री नीलेश द्विवेदी, वनक्षेत्रपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सीधी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आदेश/गार्ड फाईल।

(संजय पाठक)

उप वन संरक्षक(प्रशा-11)
मध्यप्रदेश भोपाल

कक्ष/कर्मचारी का नाम
श्री. क. र.
अ. प्र. मु. व. स. (सू. प्रौ.)